पत्रांक :–3 / यो01–20 / 2024 (उ0 शि0) 258/बजट/

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(उच्च शिक्षा प्रभाग)

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से परामर्शित

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, रॉची।

रॉची, दिनांक 12/02/2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालय जमशेदपुर को–ऑपरेटिव लॉ कॉलेज, जमशेदपुर के आधारभूत संरचना के विकास हेतु रू0 31,36,45,000/– (एक्कतीस करोड़ छत्तीस लाख पैंतालीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध रू0 20,00,00,000/– (बीस करोड़ रूपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग – विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 211/बजट दिनांक 04.10.2024

आदेश– स्वीकृत ।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड रॉची के संकल्प संख्या 355 दिनांक 26.02.2024 के द्वारा कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के अंतर्गत जमशेदपुर को–ऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर में संचालित विधि संकाय को जमशेदपुर को–ऑपरेटिव लॉ कॉलेज, जमशेदपुर के रूप में अंगीभूत कर स्वीकृत एवं स्थापित किया गया है। उक्त के संबंध में जमशेदपुर को–ऑपरेटिव लॉ कॉलेज, जमशेदपुर के आधारभूत संरचना के विकास हेतु राज्य सरकार का निर्णय है।

2. झारखण्ड सरकार के मानव संसाधन विभाग द्वारा जमशेदपुर कॉ–ऑपरेटिव महाविद्यालय, जमशेदपुर के विधि संकाय को स्वतंत्र इकाई के रुप में संचालित करने का निर्णय पत्रांक–202 दिनांक–25.01.2003 द्वारा लिया गया। इस हेतु जमशेदपुर कॉ–ऑपरेटिव महाविद्यालय, जमशेदपुर की उपलब्ध भूमि में से 05 एकड़ भूमि विधि संकाय के लिए कर्णांकित की गयी है।

3. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची के पत्रांक 1446(नि0) दिनांक 27.06.2024 के द्वारा Estimate No.- 578/T.A/H.E/JSBCCL/2024-25, Page- 255 dated 26.04.2024 से कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालय जमशेदपुर को–ऑपरेटिव लॉ कॉलेज, जमशेदपुर के आधारभूत संरचना के विकास हेतु रू0 31,36,45,000/– (एक्कतीस करोड़ छत्तीस लाख पैंतालीस हजार रूपये) मात्र (GST-18%, Labour cess- 1% & JSBCCL Charge सहित) के डी0 पी0 आर0 (DPR) पर तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया गया है।

4. वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम बजट के अन्तर्गत उपशीर्ष–BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान लघुशीर्ष –102–विश्वविद्यालयों को सहायता मद में 200.00 करोड़ (दो सौ करोड़ रूपये) मात्र एवं लघुशीर्ष –796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मद में 200.00 करोड़ (दो सौ करोड़ रूपये) मात्र अर्थात कुल रू0 400.00 करोड का बजट उपबंध है।

5. वित्तीय वर्ष 2025–26 में कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालय जमशेदपुर को–ऑपरेटिव लॉ कॉलेज, जमशेदपुर के आधारभूत संरचना के विकास हेतु रू0 31,36,45,000/– (एक्कतीस करोड़ छत्तीस लाख पैंतालीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध रू0 20,00,00,000/– (बीस करोड़ रूपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2025–26 के राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष –"मुख्यशीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, 03– विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष–BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान, 01– उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान,78–पूँजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड–21S220203796BP010678) (स्कीम कोड–2104) के अंतर्गत होगा।

7. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–1269 दिनांक–21.09.2023 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

8. इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की विवरणी–

स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
—	शून्य	—

9. वित विभाग के संकल्प ज्ञापांक 759 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड, रॉंची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉंची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 में जमा करायेंगे।

11. कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के कुलसचिव द्वारा योजना–सह–वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम–339–344 के तहत पी0 एल0 खाता संख्या–8448 से एक सप्ताह के अंदर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉंची के पी0 एल0 खाता–8448 में राशि अंतरित कर दी जायेगी।

12. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

13. झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 343 का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

14. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

15. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

16. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

17. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र पर निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

12.2.26

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–3/यो01–20/2024(उ0शि0) 254 (4)/रॉंची, दिनांक– 12/02/2026

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉंची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12.2.26

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–3 / यो01–20 / 2024(उ0शि0) 2484 / रा0 / राँची, दिनांक– 12/02/2026

प्रतिलिपि –विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची / निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव / कुलसचिव, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा / उपनिदेशक, उच्च शिक्षा / अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा) / लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12.2.26

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

(समीर कुमार)	(राम सूचित कुमार)	(सुधीर कुमार)
सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	प्रशाखा पदाधिकारी	अवर सचिव